उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-1/2024/158/78-1-2024-14/2024

लखनऊः दिनांकः 19 जनवरी 2024

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः-142/78-1-2024-14/2024 दिनांक 19 जनवरी 2024 द्वारा ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024'' अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पांच (5) वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

2- ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024'' के बिन्दु-3.2 में व्यवस्था है कि नोडल संस्था के कार्यों की देख-रेख के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्थापित की जायेगी।

3- उक्त नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024'' के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामलों जैसेकि निवेश प्रस्तावों के परीक्षण और आवश्यक अनुमोदनों के लिए सशक्त समिति को अपनी संस्तुति इत्यादि पर विचार एवं निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई का निम्नवत् गठन किया जाता हैः-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव

4- इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुसार अन्य विभागों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों आदि के सदस्य नीति कार्यान्वयन इकाई की बैठकों में शामिल हो सकते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- नीति कार्यान्वयन इकाई सशक्त समिति को संस्तुतियां करने सहित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी। नीति कार्यान्वयन इकाई निवेश प्रस्तावों के परीक्षण और आवश्यक अनुमोदन के लिए सशक्त समिति को अनुशंसा करने के लिए जिम्मेदार होगी।

6- ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024'' के क्रियान्वयन हेतु नामित कार्यदायी/नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरोक्त कार्यकलापों हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या-1/2024/158(1)/78-1-2024 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समिति के सदस्यगण
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठक आहूत करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7- प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in